

आदेश

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की हिदायतें पत्र क्रमांक 34/1/2006-4GSI dated 31-01-2006 तथा हिदायतें दिनांक 21.04.2008 के अनुसार, शारीरिक विकलांगता के कारण दिए जाने वाले लाभों के अंतर्गत, श्री श्याम चंद, सहायक कार्यालय कल्याण अधिकारी (महिला) पानीपत की सेवा काल अवधि, उसकी आयु के 58 वर्ष से 60 वर्ष तक (वर्तमान सेवानिवृत्ति की तिथि जोकि 31.03.2021 से 31.03.2023) दो वर्ष तक बढ़ाई जाती है।

दिनांक: 08.03.2021

पंकज अग्रवाल, आई०ए०एस०
श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृ० क्रमांक: स्था०/०२/२०२१/ 6241-46

दिनांक: 17-03-2021

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

- 1 उप श्रम आयुक्त, पानीपत।
- 2 कल्याण अधिकारी (महिला) पानीपत ।
- 3 खजाना अधिकारी, पानीपत।
- 4 श्री श्याम चंद, सहायक कार्यालय कल्याण अधिकारी (महिला) पानीपत ।
- 5 निजी फाईल।
- 6 कार्यालय आदेश।

Poohe
अधीक्षक(स्था०)

कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।